...ायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज०

...ासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

...जस्व वाद संख्या : 86/11

CMS NO. : 2011/00211

-:: वादी :-

1. पोकरराम पुत्र भंवरूराम
2. बाबूराम पुत्र भंवरूराम
3. दीनाराम पुत्र मोहनराम
4. धन्नाराम पुत्र मोहनराम
5. तुलछाराम पुत्र रामपाल
6. अमराराम पुत्र रामपाल
7. दुर्गाराम पुत्र लाबूराम
8. समुराम पुत्र लाबूराम
9. लाडूराम पुत्र लाबूराम

जातियान- बावरी, निवासीगण- फालका, तंहसील- जैतारण, जिला- पाली राज०।

बनाम

-:: प्रतिवादीगण :-

1. झूमरराम पुत्र नैनाराम
2. हड़मानराम पुत्र नैनाराम जातियान बावरी (चौकीदार), निवासीगण- फालका, तहसील जैतारण।
3. छोटूराम पुत्र दयालराम जाति- बावरी (चौकीदार), निवासीगण- फालका, तहसील जैतारण।
4. तहसीलदार जैतारण जिला पाली राज०

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.27.04.2011

उपस्थितः- 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, प्रतिवादी।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 10/08/2022

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा फालका तहसील जैतारण में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की शामलाति खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन निम्नलिखित विवरण की आई हुई है- खसरा संख्या 313 रकबा 11-15 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 545 रकबा 04-18 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 1142 रकबा 09-15 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल खसरा संख्या 03 कुल रकबा 26-08 बीघा तथा खसरा संख्या 307 रकबा 17-10 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 314 रकबा 07-02 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल खसरा संख्या 02 कुल रकबा 24-12 बीघा। उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान् की आराजी की नकल चालू जमबंदी व नक्शा ट्रैस की प्रमाणित प्रतियां वादपत्र के साथ पेश की जा रही है। वाद में आगे उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान् की भूमि को विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 गीगाराम के वंशज है। तथा वादपत्र के पद संख्या 1 में विवादित आराजी में गीगाराम के तीनो पुत्रो का 1/3-1/3 हिस्सा ... के उत्तराधिकारियो ने खसरा संख्या 307 व 314 में से ... हिस्से का बैचान प्रतिवादीगण संख्या 3 छोटूराम को बैचान कर दिया। लेकिन ...रूराम के उत्तराधिकारी वादीगण संख्या 01 से 06 का विवादित आराजी के खसरा संख्या 313, 545, 1142 के 1/3 वे हिस्से की आराजी पर कब्जा काश्त व हक व अधिकार है। इसी प्रकार लाबूराम के उत्तराधिकारीगण वादीगण संख्या 07 से 09 का विवादित सम्पूर्ण आराजी में 1/3 वां हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त व हक अधिकार है। इसी प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:50:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

वादीगण का भी हक हिस्सा व अधिकार है। विवादित आराजी वादीगण व वादीगण की संयुक्त व शामलाति है। जिसका अभी तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस कोई बंटवाड़ा नही हुआ है। वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि पर काली मिट्टी व ी खाद डालकर भूमि को उपजाऊ बनाकर उस पर आधूनिक तरीके से काश्त करना ाहते है। व वादीगण को अपने हक हिस्से की भूमि पर बैंक से साख पत्र बनवाये ानके की भी आवश्यकता है। इसके लिए आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा किया जाना आवश्यक है, इस पर बाबत् वादीगण ने प्रतिवादी झूमरराम से आराजी का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के करवाने के लिए निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादीगण की नियत खराब है एवं वे विवादित आराजी का बंटवाड़ा नही करना चाह रहे है। एवं नाप चौप को लेकर के आये दिन वाद विवाद करते रहेत है। दिनांक 20.04.2011 को प्रतिवादी झूमरराम ने आराजी का बंटवाड़ा करने से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया, जिस पर यह वादपत्र बाबत् बंटवाड़ा खातेदारी कृषि भूमि का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। वादीगण विवादित आराजी में से माफिक अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर के काश्त कर रहे है। लेकिन प्रतिवादीगण बदमाश प्रवृति के व्यक्ति होने से आये दिन वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप व दखलन्दाजी कर वाद विवाद कर रहे है। तथा वादीगण को उनके हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने की कुचेष्ठा कर रहे है। अगर प्रतिवादीगण विधि प्रावधानो से परे जाकर वादीगण को उनके हक हिस्से की भूमि से बेदखल कर देते है तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी करद संभव नही हो सकेगी। तथा वादीगण प्रतिवादीगण के ऐसे अवैधानिक कृत्य का विरोध करेंगे जिससे मौके पर विवाद बढेगा, व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिर्डिंग्स होगी, तब ऐसी तमाम विषम परिस्थितियो में वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादीगण संख्या 04 भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार जैतारण है जिनको इस बंटवाड़ा के वाद में पक्षकार होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। बिनाय वाद दिनांक 20.04.2011 को वादीगण को प्रतिवादीगण द्वारा उनक हक हिस्से व खातेदारी भूमि से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम फालका तहसील जैतारणमें पैदा हुआ है जो अन्दर म्याद व श्रीमान के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से 03 को जवाबदावा पेश करने हेतू अनेकानेक अवसर देने के बावजूद जवाबदावा पेश नही करने से जवाबदावा अवसर बंद किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 04 को बावजूद सम्मन/सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अधिवक्ता वादी की सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:50:04 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात इत्यादि का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा फालका सम्वत् 2065-2068 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा संख्या 313 रकबा 11-15 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 545 रकबा 04-18 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 1142 रकबा 09-15 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल खसरा संख्या 03 कुल

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

बा 26-08 बीघा तथा खसरा संख्या 307 रकबा 17-10 बीघा किस्म बारानी यम, खसरा संख्या 314 रकबा 07-02 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल खसरा ख्या 02 कुल रकबा 24-12 बीघा में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03के क-हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर टवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी वेरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि सरहद मौजा फालका, पटवार हल्का फालका तहसील जैतारण, में स्थित खसरा संख्या 313 रकबा 11-15 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 545 रकबा 04-18 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 1142 रकबा 09-15 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल खसरा संख्या 03 कुल रकबा 26-08 बीघा तथा खसरा संख्या 307 रकबा 17-10 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 314 रकबा 07-02 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल खसरा संख्या 02 कुल रकबा 24-12 बीघा, भूमि जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2017/45 दिनांक 13.10.2017 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/22/4295 दिनांक 06/07/2022 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील उभयपक्ष ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा फालका, पटवार हल्का फालका तहसील जैतारण, में स्थित खसरा संख्या 313 रकबा 11-15 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 545 रकबा 04-18 बीघा किस्म सेवज दोयम, खसरा संख्या 1142 रकबा 09-15 बीघा किस्म सेवज दोयम कुल खसरा संख्या 03 कुल रकबा 26-08 बीघा तथा खसरा संख्या 307 रकबा 17-10 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 314 रकबा 07-02 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल खसरा संख्या 02 कुल रकबा 24-12 बीघा का बंटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:50:04 IST
Reason: SelfAttested

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	झूमरराम हड्मानराम पि. नैनाराम कौम बावरी सा. देह खातेदार	1142	0.7523	से.दो.	4.37
		307	1.9646	बा.दो.	3.77
		02	2.7169	-	8.14

उपखण्ड अधिकारी एवं

	छोटूराम पुत्र दयालराम कौम बावरी सा. देह खातेदार रहन एसबीआई आ.कालू	314	1.1493	बा.दो.	2.20
		307	0.1535	बा.दो.	0.29
		02	1.3028	-	2.49
	श्यामलाल लाडूराम दुर्गाराम पि. लाबूराम कौम बावरी सा. देह खातेदार रहन दुर्गाराम का हिस्सा एसबीआई आ.कालू श्यामलाल का हिस्सा आरएमजीबी आ.कालू	545	0.7932	से.दो.	4.01
		313/1	1.2209	बा.दो.	2.34
		307/3	0.7027	बा.दो.	1.35
		3	2.7168	-	7.70
4.	धनाराम दीनाराम पि. मोहन 1/4 पोकरराम बाबूराम पि. भंवरू 1/2 तुलछाराम पुत्र रामपाल सुगनाई पत्नी रामपाल फौत व अमरा पुत्र रामपाल फौत के का.मु. गोविन्दराम पुत्र अमराराम केलमी पार्वती पुत्रियां अमराराम रामेश्वरी पत्नी अमराराम तुलछाराम पुत्र रामपाल 1/4 कौम बावरी सा. देह खातेदार रहन धनाराम का हिस्सा एसबीआई आ.कालू	1142/2	0.7950	से.दो.	4.62
		313/2	0.6191	बा.दो.	1.18
		02	1.4141	-	5.80
5.	झूमरराम हड़मानराम पि. नैनाराम 1/2 धनाराम दीनाराम पि. मोहन 1/8 पोकरराम बाबूराम पि. भंवरू 1/4 तुलछाराम पुत्र रामपाल, गोविन्दराम पुत्र अमरा, केलमी पार्वती पुत्रियां अमराराम रामेश्वरी पत्नी अमराराम 1/8 कौम बावरी सा. देह खातेदार रहन धनाराम का हिस्सा एसबीआई आ. कालू	1142/1	0.0310	गै.मु. रास्ता	-
6.	झमरराम हड़मानराम पि. नैनाराम 1/3 श्यामलाल लाडूराम दुर्गाराम पि. लाबूराम 1/3 धनाराम दीनाराम पि. मोहन 1/12 पोकरराम बाबूराम पि. भंवरू 1/6 तुलछाराम पुत्र रामपाल गोविन्दराम पुत्र अमरा, केलमी पार्वती पुत्रियां अमराराम रामेश्वरी पत्नी अमराराम 1/12 कौम बावरी सा. देह खातेदार रहन धनाराम व दुर्गाराम का हिस्सा एसबीआई आ. कालू श्यामलाल का हिस्सा आरएमजीबी आ. कालू	313	0.0620	गै.मु. रास्ता	-
7.	झूमरराम हड़मानराम पि. नैनाराम 1/3 श्यामलाल लाडूराम दुर्गाराम पि. लाबूराम 1/3 छोटूराम पुत्र दयालराम 1/3 कौम बावरी सा. देह खातेदार रहन दुर्गाराम व छोटूराम का हिस्सा एसबीआई आ.कालू श्यामलाल का हिस्सा आ. कालू	307/1	0.0120	गै.मु. रास्ता	-

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:50:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 10/08/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण

लास :- डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

-:: वादी :- बनाम **-:: प्रतिवादीगण :-**

वादी:

1. पोकरराम पुत्र भंवरूराम
2. बाबूराम पुत्र भंवरूराम
3. दीनाराम पुत्र मोहनराम
4. धन्नाराम पुत्र मोहनराम
5. तुलछाराम पुत्र रामपाल
6. अमराराम पुत्र रामपाल
7. दुर्गाराम पुत्र लाबूराम
8. समुराम पुत्र लाबूराम
9. लाडूराम पुत्र लाबूराम जातियान- बावरी, निवासीगण- फालका, तहसील- जैतारण,जिला- पाली।

प्रतिवादीगण:

1. झूमरराम पुत्र नैनाराम
2. हड़मानराम पुत्र नैनाराम जातियान बावरी (चौकीदार), निवासीगण- फालका, तहसील जैतारण।
3. छोटूराम पुत्र दयालराम जाति- बावरी (चौकीदार), निवासीगण- फालका, तहसील जैतारण।
4. तहसीलदार जैतारण जिला पाली राज0

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 86/2011

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई तथा श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजातिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजस्व रेकर्ड प्रा0डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा फालका, पटवार हल्का फालका तहसील जैतारण, में स्थित खसरा संख्या 313 रकबा 11-15 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 545 रकबा 04-18 बीघा किस्म सेवज दोयम, खसरा संख्या 1142 रकबा 09-15 बीघा किस्म सेवज दोयम कुल खसरा संख्या 03 कुल रकबा 26-08 बीघा तथा खसरा संख्या 307 रकबा 17-10 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 314 रकबा 07-02 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल खसरा संख्या 02 कुल रकबा 24-12 बीघा, भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	झूमरराम हड़मानराम पि. नैनाराम कौम बावरी सा. देह खातेदार	1142	0.7523	से.दो.	4.37
		307	1.9646	बा.दो.	3.77
		02	2.7169	-	8.14
2.	छोटूराम पुत्र दयालराम कौम बावरी सा. देह खातेदार रहन एसबीआई आ.कालू	314	1.1493	बा.दो.	2.20
		307	0.1535	बा.दो.	0.29
		02	1.3028	-	2.49
3.	श्यामलाल लाडूराम दुर्गाराम [illegible] कौम बावरी सा. देह खातेदार रहन दु[illegible] का हिस्सा एसबीआई आ[illegible] का हिस्सा आरएमजीबी आ[illegible]	[illegible]	0.7932	से.दो.	4.01
		[illegible]3/1	1.2209	बा.दो.	2.34
		[illegible]	[illegible]	बा.दो.	1.35
		3	2.7168	-	7.70
4.	धनाराम दीनाराम पि. मोहन 1/4 पोकरराम बाबूराम पि. भंवरू 1/2 तुलछाराम पुत्र रामपाल सुगनाई पत्नी रामपाल फौत व अमरा पुत्र रामपाल फौत के का.मु. गोविन्दराम पुत्र अमराराम केलमी पार्वती पुत्रियां अमराराम रामेश्वरी पत्नी अमराराम तुलछाराम पुत्र रामपाल 1/4 कौम बावरी	1142/2	0.7950	से.दो.	4.62
		313/2	0.6191	बा.दो.	1.18

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:50:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं

	सा. देह खातेदार रहन धनाराम का हिस्सा एसबीआई आ.कालू	02	1.4141	-	5.80
	झूमरराम हड़मानराम पि. नैनाराम 1/2 धनाराम दीनाराम पि. मोहन 1/8 पोकरराम बाबूराम पि. भंवरू 1/4 तुलछाराम पुत्र रामपाल, गोविन्दराम पुत्र अमरा, केलमी पार्वती पुत्रियां अमराराम रामेश्वरी पत्नी अमराराम 1/8 कौम बावरी सा. देह खातेदार रहन धनाराम का हिस्सा एसबीआई आ. कालू	1142/1	0.0310	गै.मु. रास्ता	-
6.	झमरराम हड़मानराम पि. नैनाराम 1/3 श्यामलाल लाडूराम दुर्गाराम पि. लाबूराम 1/3 धनाराम दीनाराम पि. मोहन 1/12 पोकरराम बाबूराम पि. भंवरू 1/6 तुलछाराम पुत्र रामपाल गोविन्दराम पुत्र अमरा, केलमी पार्वती पुत्रियां अमराराम रामेश्वरी पत्नी अमराराम 1/12 कौम बावरी सा. देह खातेदार रहन धनाराम व दुर्गाराम का हिस्सा एसबीआई आ. कालू श्यामलाल का हिस्सा आरएमजीबी आ. कालू	313	0.0620	गै.मु. रास्ता	-
7.	झूमरराम हड़मानराम पि. नैनाराम 1/3 श्यामलाल लाडूराम दुर्गाराम पि. लाबूराम 1/3 छोटूरांम पुत्र दयालराम 1/3 कौम बावरी सा. देह खातेदार रहन दुर्गाराम व छोटूराम का हिस्सा एसबीआई आ.कालू श्यामलाल का हिस्सा आ. कालू	307/1	0.0120	गै.मु. रास्ता	-

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज.....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदर्मे मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **10/08/2022** को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प [illegible]		
स्टाम्प वजह सबूत			म[illegible] वकील		
महनताना वकील			[illegible]		
खर्चा गवाहान			[illegible]		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्प[illegible]क		

मिजानः–　　　　　　मिजानः–

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:50:04 IST
Reason: SelfAttested